न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या--२६ / 2011--12

प्रताप सिंह बनाम गांव सभा

धारा 161 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा आन्यौर

आदेश निर्णय

प्रार्थी प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोती कुज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना--पत्र दिनांक--8.2.2010 में अंकित किया गया है कि वह मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या--160 खसरा संख्या--65 रकवा 4.711हे. तथा खाता संख्या--47 खसरा संख्या--94 रकवा 2.614हे. भूराजस्व क्रमशः 85.00 65.00 व 43.25 रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है तथा प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर के आसपास का भी स्वामी है। यह कि प्रार्थी के खसरा संख्या 65 व 94 के बीच गाटा संख्या 60, 63, 92 का भाग जो दर्ज कागजात रास्ता है, जो मौके पर जनहित में प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं है तथा प्रार्थी की भूमि के गाटा संख्या 64, 40, 39, 37, 38, 36, 61 भी प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज कागजात है। उक्त चकमार्ग प्रार्थी की उक्त भूमि मध्य भाग में स्थित है। प्रार्थी अपने गाटा संख्या 65, 94, 64, 40, 39, 37, 38, 36, 61 गाटा संख्याओं की बाउन्ड्रीवाल करना चाहता है। बाउन्ड्रीवाल कराने में चक मार्ग संख्या 60, 63, 92 बीच में आ रही है, जिसके कारण प्रार्थी अपने गाटा संख्या 65मि./0.074हे. 24मि./0.010हे. 27मि./0.041हे. कुल रकवा 0.125हे. का चकमार्ग भूमि के खसरा संख्या--60मि0/0. 040हे., 63मि0/0.085हे. से तथा वादी के खसरा संख्या- 94मि./0.082हे. व 24मि./0.038 कुल रकवा 0.120हे. का चकमार्ग भूमि के खसरा संख्या 92मि./0.120हे. से विनिमय कराना चाहता है। प्रस्तावित विनिमय में किस्म जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। अतः विनिमय स्वीकार किया जाए।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा जॉचकर संस्तुति आख्या दिनांक--5.7.2011 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम आन्यौर स्थित ग्रामसभा चकमार्ग भूमि खसरा संख्या-60मि0/0.040हे., 63मि0/0.085हे. से खसरा संख्या--65मि/0.074हे., 25मि./0. 010हे. 27मि/0.041हे. 94मि./0.082हे. व 24मि./0.038हे. कुल रकवा 0.245हे.से किये जाने की अपील की गई है। प्रस्तावित विनिमय के संबंध में भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक के दिनांक को कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं दी गई है। प्रस्तावित विनिमय से गांव सभा को कोई क्षति नहीं है, बल्कि ग्रामवासियों को अधिक दूरी के आने--जाने के स्थान पर कम दूरी के आने --जाने का प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध होगा, जिससे आवागमन में सुविधा रहेगी। प्रस्तावित विनिमय में किस्म जमीन के अनुसार मालियत में कोई अन्तर नहीं है। प्रस्तावित विनिमय के संबंध में यह भी उल्लेख करना है कि खसरा संख्या 65 व खसरा संख्या 94 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि के रुप में घोषण की जा चुकी है तथा मौके पर खाली पडी हुई है। वादी की भूमि के खसरा संख्या--65मि./0.074हे. व खसरा संख्या 94मि./0.082हे. रकवा को कृषि के रुप में मानते हुए विनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी की भूमि का यह भाग/रकवा चकमार्ग में ही प्रयोग होगा।

श्री साधूराम, क्षेत्रीय लेखपाल के सशपथ बयान दर्ज किये गये। श्री साधूराम ने अपने सशपथ बयान दिनांक--9.11.2011 में अंकित कराया है कि भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव को मेरे द्वारा देखा गया। यह प्रस्ताव दिनांक 25.2.2010 में किया गया है जो श्री हरिओम शर्मा, लेखपाल द्वारा दिनांक 30.6.2011 को सत्यापित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध श्री हरिओम शर्मा, लेखपाल की आख्या दिनांक 30.6.2011 व प्रभारी राजस्व निरीक्षक श्री लक्षमण प्रसाद की आख्या दिनांक 1.7.2011 के अनुसार प्रस्तावित विनिमय में किस्म जमीन के अनुसार मालियत में कोई अन्तर नहीं है। गांव सभा की प्रस्तावित खसरा संख्या 60मि0 रकवा 0.040हे व 63मि0 रकवा 0085हे. व खसरा संख्या 92मि. रकवा 0.120हे.माल कागजात में श्रेणी 6(2) रास्ता दर्ज है। प्रस्तावित विनियम खसरा संख्या 65मि.रकवा 0.010हे. व खसरा संख्या 27 मि. रकवा 0.041हे. व खसरा संख्या 94मि रकवा 0.082हे.व खसरा संख्या 24मि. रकवा 0.038हे. से विनिमय किया जाना प्रस्तावित है।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया। उक्त विनिमय हेतु प्रस्ताव
दिनांक 25.2.2010 को भू0प्र0स0 द्वारा पारित किया गया। प्रस्तावित विनिमय के सबंध में पत्रावली पर
उपलब्ध क्षेत्रीय लेखपाल के सशपथ बयान दिनांक--9.11.2011 एवं तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति
आख्या दिनांक 5.7.2011 तुलनात्मक नक्शा मालियत से विदित है कि उक्त विनियम में गांव सभा को
कोई नुकसान नही हो रहा है, क्योंकि विनियमित की जाने वाली गांव सभा भूमि प्रार्थी की भूमि के
मध्य में होने के कारण उसे प्रार्थी की भूमि से विनिमय के द्वारा दिया जा रहा है। विनियम की जाने
वाली भूमियों की मालियत में कोई अन्तर नहीं है। दोनों पक्ष उक्त विनियम से सहमत है तथा उक्त
विनिमय के विरुद्ध पत्रावली पर कोई आपत्ति नहीं है। 2008 (104) आर0डी0 52(इलाहाबाद हाई
कोर्ट) खचेड़ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विनिश्चित किया गया है कि गांव सभा भूमि जो लोक
उद्देश्य हेतु आरक्षित हो, उसका विनियम इस शर्त पर किया जा सकता है कि गांव सभा को
विनिमय के द्वारा मिलने वाली भूमि उसी लोक उद्देश्य के प्रयोजन में लायी जायेगी। अतः उक्त
विनिमय स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति आन्यौर द्वारा पारित विनिमय प्रस्ताव दिनांक--25.2.2010
स्वीकार करते हुए ग्राम सभा की भूमि रास्ता के खसरा संख्या 60मि0 रकवा 0.040हे व 63मि0 रकवा
0085हे. व खसरा संख्या 92मि. रकवा 0.120हे. कुल रकवा 0.245हे. का विनिमय प्रार्थी की भूमि खसरा
संख्या--65मि. रकवा 0.074हे. खसरा संख्या--25मि0 रकवा 0.010हे. खसरा संख्या-- 27मि. रकवा 0.041
हे. खसरा संख्या 94मि. रकवा 0.082हे, खसरा संख्या 24मि. रकवा 0.038हे. कुल रकवा 0.245हे. का
विनिमय स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक--5.7.2011 आदेश का अंग
रहेगी। खसरा संख्या--65मि. रकवा 0.074हे. खसरा संख्या--25मि0 रकवा 0.010हे.खसरा संख्या-- 27मि.
रकवा0.041हे. खसरा संख्या 94मि. रकवा 0.082हे, खसरा संख्या 24मि. रकवा 0.038हे. कुल रकवा 0.
245हे. श्रेणी 6(2) रास्ता दर्ज होवे तथा खसरा संख्या 60मि0 रकवा 0.040हे व 63मि0 रकवा 0085हे.
व खसरा संख्या 92मि. रकवा 0.120हे. कुल रकवा 0.245हे. प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोती
कुंज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया
जाय। यह विनिमय इस शर्त के अधीन होगा कि गांव सभा को विनिमय में प्राप्त भूमि रास्ता के
प्रयोजन मे लायी जायेगी। इस आदेश की प्रति तहसीलदार, मथुरा को तद्नुसार अभिलेखों में इन्द्राज
करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे ।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अभिलेखो
मे इन्द्राज कराकर एक प्रति न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय ।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

132
प्रार्थी — [illegible]
... 25.11.2011
[illegible] 25.11.2011
[illegible] 25.11.2011

सत्य प्रतिलिपि
[illegible], उपजिलाधिकारी
मथुरा
25. XI. 2011

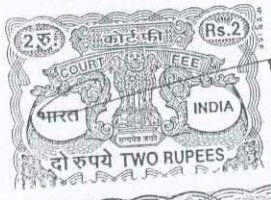

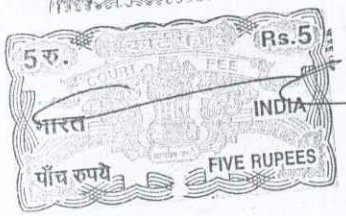

उपजिलाधिकारी मथुरा द्वारा तहसीलदार

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह नि0 मोतीकुन्ज एक्सटेंशन मथुरा दिनांक 08.02.2010 के क्रम में आख्या निम्न प्रकार है–

प्रार्थी द्वारा ग्राम आन्यौर स्थिति ग्राम सभा चक मार्ग भूमि के खसरा सं. 60मि./0.040 व 63मि./0.085 तथा 92मि./0.120 कुल रकवा 0.245 है0 का विनिमय अपनी संक्रमणीय भूमि के खसरा सं. 65मि./0.074, 25मि./0.010, 27मि./0.041, 94मि./0.082, 24मि./0.038 से कुल रकवा 0.245 है0 से किये जाने की अपेक्षा की गई है।

2. उपरोक्त विनिमय के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति आन्यौर के द्वारा दिनांक 25.02.2010 को सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करके निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

खाता संख्या	वादी की भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्राम सभा को प्राप्त होगी					ग्राम सभा भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी को प्राप्त होगी				
	खसरा सं0	रकवा	नौइयत	मालियत	मा0गु0	खसरा सं0	रकवा	नौइयत	मालियत	मा0गु0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
160	65मि.	0.074	सं0 भू0	0.73	1.35	60मि.	0.040	रास्ता	0.40	
269	25मि.	0.010	सं0 भू0	0.10	0.14	63मि.	0.085	रास्ता	0.83	
380	27मि.	0.041	सं0 भू0	0.40	0.68	—	—	—	—	—
	3 किता	0.125		1.23	2.47		0.125		1.23	2.17
47	94मि.	0.082	सं0 भू0	0.81	1.35	92 मि.	0.120	रास्ता	1.18	
394	24मि.	0.038	सं0 भू0	0.37	0.063					
	2 किता	0.120 है.		1.18	1.98 रू.	—	0.120है.	—	1.18	1.98 रू.

प्रस्तावित विनिमय के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक के दिनांक को कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं दी गई है।

3. प्रस्तावित विनिमय से गाँव सभा को कोई क्षति नहीं है बल्कि ग्राम निवासीयों को अधिक दूरी के आने–जाने के स्थान पर कम दूरी के आने–जाने का प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध होगा जिससे आवागमन में सुविधा रहेगी।

4. प्रस्तावित विनिमय में किस्म जमीन के अनुसार मालियत में कोई अन्तर नहीं है।

5. प्रस्तावित विनिमय के सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि गा0सं0 65 व गा0सं0 94 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि के रूप में घोषणा की जा चुकी है। लेकिन इन नम्बरान की भूमि को कृषि से भिन्न अकृषिक कार्यो के प्रयोग में नहीं लाया गया है बल्कि भूमि मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में विनिमय से सम्बन्धित वादी की भूमि के खसरा

.....2–

सं0 65मि./0.074 व खसरा सं0 94मि./0.082 रकवा को कृषि के रूप में मानते हुए विनिमय स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी की भूमि का यह भाग/रकवा चाकमार्ग में ही प्रयोग होगा।

6. प्रस्तावित विनिमय के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव पूर्व निर्वाचित भूमि प्रबन्धक समिति कार्यकाल का है। ऐसी स्थिति में वर्तमान निर्वाचित प्रधान को न्यायालय में तलब करके भूमि प्रबन्धक समिति प्रस्ताव दि. 25.02.2010 की पुष्टि किया जाना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

इस प्रकार उपरोक्त आधार पर प्रस्तावित विनिमय स्वीकृत किये जाने हेतु नक्शा तुलनात्मक मालियत कार्यवाही, मुनादी, एजेन्डा, नक्शा नजरी के साथ रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

दिनांक-- 30.06.11

हरिओम शर्मा

लेखपाल/सचिव

भू0प्र0सं0 आन्यौर

महोदय लेखपाल आख्या प्रेषित है।

रा.नि.

01/07/11

महोदय,

लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या संस्तुति सहित स्वीकृत हो

4/7/11

तहसीलदार